न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वां, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :52/2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री बनवारी लाल गुप्ता पुत्र श्री कजोडमल गुप्ता एफ.बी.ओ. मैसर्स बनवारी लाल अशोक कुमार सैंथल मोड दौसा(राज.) निवासी शिव शक्ति नगर जयपुर रोड दौसा राज.।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस धारा 26 की उप धारा 2(V) एवं दंडनीय धारा 58

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— **26.09.2023**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक डॉ मदन लाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 08.04.2023 को 02:11 PM पर मैसर्सः—बनवारी लाल अशोक कुमार सैंथल मोड दौसा पर पहुँचा। वहां पर श्री बनवारी लाल गुप्ता पुत्र श्री कजोडमल मिला। जिसको अपना परिचय देकर परिचय पूछने पर विक्रेता ने स्वयं को मैसर्सः— बनवारी लाल अशोक कुमार का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्सः—बनवारी लाल अशोक कुमार सैंथल मोड दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थो के साथ हल्दी पाउडर खुला **(Turmeric powder Loose)** आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में लोहे के पीपे में लगभग 6—7 किलोग्राम आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ था। जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (खुला) वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में लोहे के पीपे में से 2 किलोग्राम हल्दी पाउडर (खुला) वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 300/—(अक्षरे तीन सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ 2 किलोग्राम हल्दी पाउडर खुला **(Turmeric powder Loose)** को अलग—अलग 500—500 ग्राम चार स्थानो में साफ व सुखी पॉलीथीन मे भरकर तुलवाकर अलग—अलग चारो भाग को साफ व सुखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक डिब्बे को खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एजी—3283 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भागों को अलग–अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी–3283 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायार्लय **CM&HO** दौसा को भेजकर दिनांक 12.04.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 10.04.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला **(Turmeric powder Loose)** की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 554 / एक्ट / 2023 / 576 दिनांक 24.04.2023 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला **(Turmeric powder Loose)** एफ.एस.एस.ए के विनियम 2011 के नियम 2.3.14(15) का उल्लंघन करने के कारण कान्ट्रावेन स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 554 / एक्ट / 2023 / 576 दिनांक 24.04.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला **(Turmeric powder Loose)** का नमूना एफ.एस.एस.ए के विनियम 2011 के नियम 2.3.14(15) का उल्लंघन करने के कारण कान्ट्रावेन स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला **(Turmeric powder Loose)** का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(V) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी एक छोटा व्यापारी है। जो अपनी दुकान में ग्राहको द्वारा मांगे जाने पर उनकी मांग के अनुसार खुले मसाले रखता है एवं विक्रय करता है। प्रार्थी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि खुले मसालो का विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी द्वारा अन्जाने में यह गलती हुई है। भविष्य में प्रार्थी द्वारा यह गलती नहीं की जायेगी। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. : 52/2023 FSSA

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./554/एक्ट/2023/ 576 दिनांक 24.04.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला (**Turmeric powder Loose**) का नमूना नियम 2.3.14(15) एफएसएस (**Prohibitions and Restrictions on sale**) नियम 2011 का उल्लंघन(खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला (**Turmeric powder Loose**) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री बनवारी लाल गुप्ता पुत्र श्री कजोड मल गुप्ता एफ.बी.ओ. मैसर्स बनवारी लाल अशोक कुमार सैंथल मोड दौसा निवासी शिव शक्ति नगर जयपुर रोड दौसा पर 3000/-(अक्षरे तीन हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 26.09.2023 के एक माह के अन्दर-अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ दिनांकः- 26.09.2023

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री बनवारी लाल गुप्ता पुत्र श्री कजोड मल गुप्ता एफ.बी.ओ. मैसर्स बनवारी लाल अशोक कुमार सैंथल मोड दौसा निवासी शिव शक्ति नगर जयपुर रोड दौसा।

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा